ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION

Regd. No. 17903 H/Q Aravindapalli, Lower Beniasole, Post. – Adra .Distt. Purulia (W.B.) Pin 723121

Central Office : AILRSA BHAWAN, H.No. 333, Bhoor Bharat Nagar, Ghaziabad – 201001.Tel. No. : 0120-2740025

SOLAPUR DIVISION, CENTRAL RAILWAY

S. J. NIGADE | **YOGESH J. MADAKE**
Divisional President, Solapur | Ad-hoc Divisional Secretary, Solapur
Phone: 9403304070 | Email :- ailrsasur@gmail.com | Phone: 90969 99107

Office:- Flat no. 15, Swapna Sagar Appartment, Defence Colony,Daund,PUNE, 413801

AILRSA/DRM/SUR/SSR- CASE/09/2026, | दिनांक – 15.09.2026

सेवा में,

आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय,
सोलापुर मंडल, मध्य रेल,

विषय : सहायक लोको पायलट श्री SAGAR SANJAY RAUT (ID–SUR1998), सोलापुर ब्रांच की दिनांक 14.09.2026 को आत्महत्या से हुई मृत्यु की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जाँच तथा कथित मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर उचित कार्रवाई किए जाने के संबंध में।

महोदय,

हम, सोलापुर मंडल के अधोहस्ताक्षरी लोको रनिंग स्टाफ, अत्यंत दुःख, पीड़ा एवं गहरी चिंता के साथ आपका ध्यान दिनांक **14.09.2026** को सोलापुर ब्रांच के सहायक लोको पायलट **श्री SAGAR SANJAY RAUT (ID–SUR1998)** द्वारा आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त किए जाने की अत्यंत गंभीर एवं दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

यह घटना केवल एक कर्मचारी की असामयिक मृत्यु नहीं है, बल्कि पूरे लोको रनिंग स्टाफ एवं उनके परिवारों के बीच **सुरक्षा, कार्यस्थल के वातावरण तथा प्रशासनिक व्यवहार को लेकर गंभीर भय और असुरक्षा की भावना** उत्पन्न करने वाली घटना है।

हमारा संगठन अथवा अधोहस्ताक्षरी कर्मचारी किसी व्यक्ति को बिना जाँच दोषी ठहराने के पक्ष में नहीं हैं। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों के बीच जो गंभीर आरोप एवं आशंकाएँ सामने आ रही हैं, उनकी **निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जाँच** कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

1. कथित मानसिक प्रताड़ना की निष्पक्ष जाँच आवश्यक

कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी एवं उनके बीच व्याप्त चर्चा के अनुसार, श्री SAGAR SANJAY RAUT पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव एवं अवसाद की स्थिति में थे तथा कथित रूप से प्रशासनिक स्तर पर लगातार दबाव एवं प्रताड़ना का सामना कर रहे थे।

विशेष रूप से Sr. DEE/TR/SUR **एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यालय में बार-बार बुलाए जाने, कार्य संबंधी दबाव, धमकीपूर्ण व्यवहार तथा नौकरी से निकाल देने जैसी कथित धमकियों** के संबंध में कर्मचारियों के बीच गंभीर शिकायतें एवं आशंकाएँ हैं।

इन आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता का निर्धारण केवल **निष्पक्ष जाँच** के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए इन गंभीर तथ्यों को बिना जाँच के नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

2. पूर्व की दुखद घटना से भी सबक लिया जाना आवश्यक

यह भी अत्यंत चिंता का विषय है कि पूर्व में सहायक लोको पायलट **श्री रजत चौधरी** की मृत्यु के मामले में भी कर्मचारियों द्वारा रेलवे अस्पताल एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाए गए थे।

यदि पूर्व की घटना से आवश्यक संस्थागत सुधार एवं preventive mechanism विकसित किए गए होते, तो संभवतः ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता था।

आज पुनः एक युवा रनिंग स्टाफ की जान चली जाना इस बात का संकेत है कि **कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मानसिक तनाव, प्रशासनिक दबाव, grievance redressal तथा अधिकारियों के व्यवहार की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है।**

3. नियमों का पालन करने वाले कर्मचारियों के साथ व्यवहार

लोको रनिंग स्टाफ अत्यंत संवेदनशील एवं safety-critical कार्य करता है। ऐसे कर्मचारियों से Railway Rules, HOER तथा safety provisions का पालन अपेक्षित है।

लेकिन कर्मचारियों के बीच यह लगातार शिकायत सामने आ रही है कि नियमसंगत कार्य करने अथवा नियमों के उल्लंघन का विरोध करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में बार-बार बुलाकर मानसिक दबाव में रखा जाता है तथा कथित रूप से **नौकरी से निकाल देने अथवा गंभीर कार्रवाई करने की धमकी** दी जाती है।

यदि ऐसी शिकायतें सही पाई जाती हैं तो यह न केवल कर्मचारी कल्याण का विषय है, बल्कि **Safe Train Operation** के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। भय एवं मानसिक दबाव में कार्य करने वाला रनिंग स्टाफ सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए आवश्यक मानसिक संतुलन एवं आत्मविश्वास कैसे बनाए रख पाएगा, यह स्वयं एक गंभीर प्रश्न है।

4. जाँच स्वतंत्र एवं प्रभाव से मुक्त हो

हमारी मुख्य मांग यह है कि इस घटना की जाँच ऐसी समिति/अधिकारी द्वारा कराई जाए जो घटना से संबंधित अधिकारियों के प्रत्यक्ष प्रशासनिक प्रभाव से स्वतंत्र हो।

जाँच में निम्न बिंदुओं को विशेष रूप से शामिल किया जाए–

1. श्री SAGAR SANJAY RAUT की मृत्यु से पूर्व के दिनों में उनके **duty records, call records/official communication, office attendance एवं संबंधित अधिकारियों के साथ हुई interactions** की जाँच की जाए।
2. उन्हें कार्यालय में बुलाए जाने एवं उनके साथ किए गए कथित व्यवहार की जाँच की जाए।
3. उनके सहकर्मियों, परिवारजनों तथा उनके साथ निकटता से कार्य करने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएँ।
4. यदि किसी अधिकारी द्वारा धमकी, दबाव, अपमानजनक व्यवहार अथवा अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई की गई हो तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
5. पूर्व में कर्मचारियों द्वारा की गई संबंधित शिकायतों/representations का भी परीक्षण किया जाए।
6. घटना से संबंधित उपलब्ध CCTV footage, official records एवं अन्य electronic/digital evidence को तत्काल सुरक्षित किया जाए, ताकि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट या परिवर्तित न हो।
7. यदि जाँच में किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध Railway Rules के अनुसार **उचित disciplinary/administrative action** लिया जाए।

5. कर्मचारियों में भय समाप्त करने के लिए तत्काल कदम

हम प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि रनिंग स्टाफ के बीच व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए–

- कर्मचारियों की शिकायतों के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावी **Grievance Redressal Mechanism** बनाया जाए।

- अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की निगरानी की जाए।
- किसी कर्मचारी को केवल नियमों का पालन करने अथवा safety concern उठाने के कारण प्रताड़ित न किया जाए।
- मानसिक तनाव एवं कार्यस्थल संबंधी समस्याओं के लिए confidential counselling/support mechanism उपलब्ध कराया जाए।
- रनिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक कर उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाए।

6. हमारी स्पष्ट मांग

अतः हम सभी अधोहस्ताक्षरी लोको रनिंग स्टाफ प्रशासन से निम्नलिखित मांग करते हैं–

(1) श्री **SAGAR SANJAY RAUT (ID–SUR1998)** की मृत्यु की **निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जाँच** तत्काल कराई जाए।

(2) जाँच में Sr. DEE/TR/SUR सहित संबंधित सभी अधिकारियों की भूमिका एवं कथित प्रशासनिक व्यवहार की निष्पक्ष जाँच की जाए।

(3) घटना से संबंधित सभी documentary, electronic एवं अन्य साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित किया जाए।

(4) मृतक कर्मचारी के सहकर्मियों एवं परिवार के सदस्यों के बयान निष्पक्ष रूप से दर्ज किए जाएँ तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी evidence को जाँच का हिस्सा बनाया जाए।

(5) यदि जाँच में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मानसिक प्रताड़ना, धमकी, अनुचित दबाव, अधिकारों के दुरुपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की misconduct की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध Railway Rules के अनुसार कठोर एवं उचित कार्रवाई की जाए तथा **जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए।**

(6) पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं एवं कर्मचारियों द्वारा उठाई गई संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा कर यह निर्धारित किया जाए कि प्रशासनिक स्तर पर कौन-कौन से preventive measures विफल रहे।

(7) भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रनिंग स्टाफ के लिए प्रभावी grievance redressal, counselling एवं protection mechanism तत्काल लागू किया जाए।

(8) जाँच पूरी होने के पश्चात उसके निष्कर्ष एवं की गई कार्रवाई से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए, ताकि कर्मचारियों में विश्वास बहाल हो सके।

महोदय,

एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए, यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक चूक अथवा अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में किसी कर्मचारी को इस प्रकार की चरम परिस्थिति का सामना न करना पड़े।

हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस अत्यंत गंभीर विषय को **कर्मचारी कल्याण, मानव गरिमा एवं सुरक्षित रेल संचालन** से जुड़ा विषय मानते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेगा।

भवदीय,

समस्त अधोहस्ताक्षरी लोको रनिंग स्टाफ
सोलापुर मंडल, मध्य रेल

दिनांक: **14.09.2026**
स्थान: **सोलापुर**

संलग्नक:

1. अधोहस्ताक्षरी कर्मचारियों की सूची।

विषय :- सहायक लोको पायलट श्री SAGAR SANJAY RAUT (ID–SUR1998), सोलापुर ब्रांच की दिनांक 14.09.2026 को आत्महत्या से हुई मृत्यु की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जाँच तथा कथित मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर उचित कार्रवाई किए जाने के संबंध में संयुक्त हस्ताक्षर :-

क्रम सं.	कर्मचारी के नाम	पद	मुख्यालय	हस्ताक्षर